

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 190/2019


---:: निर्णय ::---

दिनांक:- 14.1.2020

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार लूणी के पत्रांक: भूअ. /डीआईएलआरएमपी/2019/3466 दिनांक 22.11.2019 के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भूरा. अधिनियम 1956 का पेश किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। तामिली रिपोर्ट प्राप्त होकर शामिल मिसल किया गया।

तहसीलदार लूणी ने प्रार्थना पत्र पेश कर ग्राम धुन्धाडा के खसरा संख्या-660, 660/1, 661 कुल रकबा 62 बीघा में अप्रार्थीगण डुंगरराम पुत्र पुनमा राम वगैरा का वर्तमान ममाबन्दी संवत 2071-2074 में 1/8 हिस्सा दर्ज है। मिसल बन्दोबस्त में भी अप्रार्थीगण का हिस्सा 1/8 दर्ज है। मौके पर खसरा संख्या 660, 660/1, 661 में अप्रार्थीगणों का 1/16 हिस्से पर कब्जा-काश्त है। डीआईएलआरएमपी के तहत रिकॉर्ड का सेग्रीगेशन करने पर उक्त खसरे का अप्रार्थीगण का हिस्सा 1/8 दर्ज होने से हिस्सा एक नहीं हो रहा है। वर्तमान ममाबदी में अप्रार्थीगण का हिस्सा 1/8 के स्थान पर 1/16 दर्ज करने का निवेदन किया है।

प्रार्थी सरकार जरिये तहसीलदार लूणी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भूरा. अधिनियम 1956 को स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार लूणी की रिपोर्ट दिनांक 22.11.2019 एवं हल्का पटवारी धुन्धाडा की मौका फर्द दिनांक 19.08.2019 के अनुसार अप्रार्थीगणों के 1/16 हिस्से पर कब्जा काश्त करने की सहखातेदारों द्वारा सहमति प्रकट की गई। ऐसी स्थिति में रिकॉर्ड दुरुस्ती किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः तहसीलदार लूणी को आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम धुन्धाडा के खसरा संख्या 660, 660/1, 661 रकबा 62 बीघा में डीआईएलआरएमपी के तहत सेग्रीगेशन करने हेतु अप्रार्थीगण का हिस्सा 1/8 के स्थान 1/16 हिस्सा दुरुस्त कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया जाकर पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

  
(गोपाल पट्टिहण्ड) उपखण्ड अधिकारी  
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी  
लूणी